टिप्पणी

3

व्यक्तिगत या पर्सनल विधि: हिन्दू और मुस्लिम कानून

आपने अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में व्यक्तिगत कानून (Perosnal Law) के विषय में सुना होगा, किन्तु आपको यह पता नहीं होगा कि परिभाषित कैसे करें। स्वीय कानून को कानून की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति और उसके परिवास से संबंधित मुद्दों को निपटाता है। अन्य शब्दों में, स्वीय कानून वह कानून है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विभिन्न मुद्दों जैसे विवाह, विवाह-विच्छेद, अनुरक्षण, वसीयत, उत्तराधिकार, दत्तकग्रहण, संरक्षकताएं आदि (विवाह की अनिवार्य वैधता, पति और पत्नी के मालिकाना अधिकार पर विाह के प्रभाव, प्राथमिक विवाह-विच्छेद याविवाह का निरसन, अवैधता, वैधता, तथा दत्तकग्रहण और वसीयीती (जहां वसीयत बनाई गई है) और निर्वसनीय (जहां वसीयत नहीं बनाई गई है) के संबंध में शासित होता है।

भारत विविध धर्मों का देश है, इसलिए यहां स्वीय कानून की प्रयोजनीयता संपूर्ण रूप से पृथक धर्म, मान्यताओं पर आधारित है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी अपने व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित या नियंत्रित होते हैं, जैसे क्रमशः हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून तथा यहूदी कानून। धार्मिक दृष्टिकोण से, स्वीय कानून को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ''कानून का वह निकाय, जो व्यक्ति पर या उसकी सम्पत्ति के संबंध में मूल रूप से एक विशिष्ट धर्म से संबंधित होने।'' इस अध्याय में आप केवल हिन्दू और मुस्लिम कानून के विषय में अध्ययन करेंगे और अगले अध्याय में ईसाई, पारसी और यहूदी कानून का अध्ययन करेंगे।

शब्दों के अर्थ

हिन्दू और मुस्लिम कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने से पूर्व, 'हिन्दू' और 'मुस्लिम' शब्दों के अर्थ को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिन्दू वह व्यक्ति है जो (क) धर्म से हिन्दू, जैन, सिख या बौद्ध है (अर्थात् उसे धर्म से 'हिन्दू' होना चाहिए), (ख) कोई व्यक्ति जो हिन्दू माता-पिता के पास पैदा हुआ हो, चाहे दोनों माता व पिता हिन्दू हों या इन दोनों में से कोई एक हिन्दू हो (अर्थात, उन्हें जन्म से हिन्दू कहा जाता है), (ग) कोई व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है और वह किसी अन्य कानून द्वारा शासित नहीं होता है। 'मुस्लिम' वह व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म का अनुयायी है। न्यायिक मतानुसार, एक व्यक्ति जन्म से या धर्मपरिवर्तन द्वारा मुस्लिम हो सकता है। एक मुसलमान व्यक्ति जन्म से मुस्लिम तब होता है जब

उसके जन्म के समय उसके माता-पिता मुसलमान हों। एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम तब बनता है, जब वह किसी दूसरे धर्म का हो और वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर तथा पूर्ण चेतना के साथ, अपने धर्म को अस्वीकार करता है और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाता है।

इस अवधारणात्मक स्पष्टाओं से, आप हिन्दू और मुस्लिम धर्म के विभिन्न तथ्यों के विषय में अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप :

- हिन्दू और मुस्लिम कानूनों के स्रोतों सहित व्यक्तिगत कानून के अर्थ को भी समझ पाएंगे;
- हिन्दू और मुस्लिम धर्म में विवाह और विवाह-विच्छेद की अवधारणा का वर्णन कर पाएंगे;
- हिन्दुओं में सम्पत्ति के उत्तराधिकार और हस्तांतरण संबंधी नियमों का उल्लेख कर पाएंगे;
- मुस्लिम धर्म में विरासत तथा सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधी नियमों को जान पाएंगे।

3.1 हिन्दू और मुस्लिम कानून के स्रोत

3.1.1 हिन्दू कानून के स्रोत

हिन्दू कानून के स्रोतों का अध्ययन इसके विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन है, जिसने इसे नए आयात तथा शक्ति प्रदान की है, जिसके कारण यह समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के समरूप बन सका। मूल रूप से, यह पुरोहितों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया और अब यह आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इसलिए, निम्नलिखित शीषर्कों के अंतर्गत इसके विभिन्न स्रोतों के वर्गीकरण को स्पष्ट करना बेहतर होगा:

1. प्राचीन स्रोत :

इस शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित चार स्रोत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ (ईश्वरीय) कानून माना जाता है, जिसका प्रकटन स्वयं भगवान ने किया है। ये प्रकटीकरण हिन्दू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में समाविष्ट हैं (क) **वेद,** और **स्मृतियां**। स्मृतियां वेदों में निहित नियमों का अनुपूरक व्याख्यान उपलब्ध कराती हैं। स्मृतियां कभी भी स्पष्ट नहीं थीं और इसमें सभी परिस्थितियों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, कानून के भावी विश्लेषण, सुव्यवस्थन और समावेशन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकताओं (3) **टीका-टिप्पणियों** और **नीति ग्रंथों** ने पूरा किया। अंततः (4) **रीति-रिवाजों,** कानून के प्राचीन स्रोतों को भूला नहीं जा सकता है, जिस पर हमने माड्यूल के पाठ 1 में विस्तारपूर्वक चर्चा की है।

टिप्पणी

2. आधुनिक स्रोत :

हिन्दू धर्म के प्राचीन स्रोत हैं : (1) **न्याय, निष्पक्षता** और **शुद्ध अन्त:करण** - इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के साथ हुई। किसी विशिष्ट कानून के अभाव में या विवादों की स्थिति में, समानता, निष्पक्षता और शुद्ध अन्त:करण के सिद्धांत को लागू किया जाता था। अन्य शब्दों में, न्यायाधीशों के विचार से जो भी सर्वाधिक न्यायोचित तथा समान होता उसे एक विशिष्ट मामले में लागू किया जाता। इस प्रकार, ब्रिटिश कानून की स्थापना लोक नीति पर की गई थी कि एक हत्यारे को पीड़ित व्यक्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा, जैसा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में देखा जा सकता है। (2) **न्यायिक निर्णय :** इन्हे हिन्दू कानून के सर्वाधिक फलदायी और व्यवहारिक स्रोत माना जाता है। बहरहाल, अनुप्रयोग के लिए न्यायाधीशों को इन नियमों की उत्पत्ति मान्यता प्राप्त और प्राधिकृत स्रोतों जैसे स्मृतियों और टीका-टिप्पणियों से इन नियमों का लागू करना था जैसा कि न्यायालयों के निर्णयों में देखा जा सकता है। (3) **विधान** - हिन्दू नियम में चार प्रमुख नियम अधिनियम किए गए अर्थात हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिन्दू अप्राप्तवयता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956, हिन्दू दत्त और भरण-पोषण अधिनियम, 1956। ये विधायी अधिनियम जो हिन्दू कानून के प्राचीन नियमों को घोषित, निरस्त और आशोधित करते हैं, हिन्दू कानून के अतिरिक्त स्रोत हैं।

3.1.2 मुस्लिम कानून के स्रोत

मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं :

1. **कुरान** - मुस्लिम कुरान को अपने कानून (धर्म) का अधारा मानते हैं। वे मानते हैं कि कुरान ही वह स्रोत है जो उन्हें सत्य को असत्य के भिन्न दर्शाता है, सही और गलत का भेद बताता है। यह इस्लाम (मुस्लिम धर्म) का सर्वाधिक मौलिक और पवित्र स्रोत है। यह मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें पैगम्बर (प्रोफेट) के प्रकटीकरण समाविष्ट हैं जो उन्हें देवदूत गैब्रियल से प्राप्त हुए थे।
2. **सुन्ना और हदिस** -पैगम्बर ने कुछ अंतर्निहित प्रकटन किए जिसमें कुछ पवित्र और धर्मनिष्ठ विचार हैं। माना जाता है कि इस प्रकार के अंतर्निहित और आंतरिक प्रकटन अल्लाह से प्रेरित होकर किए गए थे। अन्य शब्दों में, सुन्ना से तात्पर्य पैगम्बर की परम्पराओं से है, जो कुछ भी पैगम्बर ने कहा या किया, वह उसकी परम्पराएं हैं। ये परम्पराएं इस्लाम के दूसरे स्रोत हैं।

सुन्ना पैगम्बर का हुक्म है अर्थात काननूका नियम और हादिस (Hadith) पैगम्बर की परम्परा है अर्थात उनके कथन या आवृत्तियां।

3. **इज्मा** - जब किसी नई समस्या के लिए कुरान या सुन्ना काननू का कोई नियम उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इस्लाम (मुस्लिम कानून) का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति सहमति के साथ उस विषय पर अपना समान मत प्रस्तुत करते हैं। इसलिए, जैसा

कि मुस्लिम समुदाय के अधिकतर विद्वान सदस्यों ने कहा है कानून के निर्माताओं या समुदाय की सहमति भी इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

4. **क्वियास** - यह नियमों और सिद्धांतों का संकलन है जिसे प्रथम तीन स्रोतों की समानता और व्याख्यान की विधि द्वारा तैयार किया गया है।

5. **रीति-रिवाज** - ऊपर उल्लिखित चारों स्रातों के किसी भी पाठ के कानून के नियम के अभाव में परम्परागत रीतियों को कानून माना जाता है। रीतिरिवाज इस्लाम का एक स्वतंत्र स्रोत नहीं है। बहरहाल, इस्लाम में परम्परागत कानून पैगम्पर की स्वीकृति से या इज्मा द्वारा इन्हें शामिल किए जाने के कारण विद्यमान हैं।

6. **विधान** - हालांकि भारत में इस्लाम धर्म संहिताबद्ध नहीं है, किन्तु इसके कुछ पहलुओं को विधानों द्वारा विनियमित किया गया है जैसे शरियत अधिनियम, 1937, मुस्लिम विवाह का अंत अधिनियम, 1939 तथा मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 1986 आदि।

7. **न्यायिक निर्णय** - मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णयों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है किन्तु इस्लाम में किसी स्पष्टता के अभावमें न्यायालय कानून के नियम की व्याख्या अपने स्वयं की न्यायिक अवधारणा के अनुसार कर सकता है। बहरहाल, न्यायिक निर्णय भारतीय मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में इस्लाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

8. **न्याय,समानता और शुद्ध अन्त:करण** - हिन्दु धर्म के ही समान, यहां भी किसी विशिष्ट कानून के अभाव में या विवाद की स्थिति में न्याय, निष्पक्षता और शुद्ध अन्त:करण का प्रयोग किया जाता है।

पाठगत प्रश्न 3.1

1. आप ''हिन्दु'' शब्द से क्या समझते हैं?
2. आप ''मुस्लिम'' शब्द से क्या समझते हैं?
3. मुस्लिम कानून के स्रोतों के नाम लिखें।

3.2 विवाह और विवाह-विच्छेद से संबंधित कानून

यह कहा जाता है कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं किन्तु विवाह और विवाह-विच्छेद के नियामें को प्राथमिक रूप से समाज द्वारा बनाया गया और बाद में समय के साथ-साथ विधायिका द्वारा इसे सहिंताबद्ध किया गया। विवाह और विवाह-विच्छेद के कानून का सहिंताकरण कुछ और

नहीं बल्कि मौलिक रीति-रिवाजों और परम्परागत नियमों को न्याय के मिश्रण के साथ सुदृढ़ किया गया है। धर्म के दो भिन्न पंथ होने के कारण, स्वाभाविक रूप से हिन्दू और मुस्लिमों के बीच विवाह और विवाह-विच्छेद की परम्परागत और विधिक प्रक्रियाओं में भिन्नता है।

3.2.1 हिन्दू कानून के अंतर्गत विवाह और विवाह-विच्छेद

विवाह

हिन्दू अपने विवाह को सदैव ही परम संस्कार मानते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थायी, अविखंडनीय और शाश्वत है, वो भी न केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले अनेक जीवनों के लिए और इसे एक पवित्र बंधन माना जाता है। हिन्द विवाह का उद्देश्य न केवल बच्चों को जन्म देना व उनको अपना कानूनी नाम प्रदान करना है बल्कि धार्मिक दायित्वों को पूरा करना भी है। वैध हिन्दु विवाह के अनिवार्य तत्व निम्नानुसार हैं :

1. विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित पति/ पत्नी नहीं होनी चाहिए।
2. विवाह के समय कोई भी पक्ष - (क) दिमागी रूप से अस्वस्थ होने के कारण वैध सहमति देने में अक्षम नहीं होगा, या (ख) हालांकि वैध सहमति देने में सक्षम होगा किन्तु ऐसे मानसिक विकास से पीड़ित नहीं होगा जो विवाह तथा शिशु को जन्म देने के लिए उपयुक्त न हो, (ग) उसे बारम्बार पागलपन या मिर्गी के दौरे न हाते हों;
3. जहां तक विवाह की आयु का सबंध है, दुल्हा को 21 वर्ष पूरे होने चाहिए और दुल्हन को 18 वर्ष पूरे होने चाहिए, अन्य शब्दों में दोनों में से कोई भी पक्ष

Sapinda (समान शरीर के कण) : दो व्यक्तियों को एक दूसरे का sapinda कहा जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के Sapinda संबंध की सीमाओं के भीतर स्वशाखीय उदीयमान हो या दोनों समान पूर्वजों के sapinda हों। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में पिता के माध्यम से आरोहण क्रम में पांच डिग्री और माता के माध्यम से आरोहक क्रम में तीन डिग्री के स्तर का प्रावधान है।

संबंध की प्रतिबंधित डिग्री : एक व्यक्ति को तब संबंधों के प्रतिबंधित डिग्री में कहा जा सकता है जब :

1. जब एक दूसरे के स्वशाखीय उदीयमान हो।
2. यदि एक दूसरे के स्वशाखीय उदीयमान या अवरोही क्रम में पत्नी या पति हो।
3. यदि एक भाई की पत्ति हो या पिता के भाई की पत्ति हो, या
4. यदि दोनों भाई और बहन हों, अंकल और भतीजी/ भांजी हो, आंटी तथा भतीजा या भाई और बहन के बच्चे या दो भाई या दो बहनें।

विवाह योग्य आयु के कम का नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे विवाह को ''बाल विवाह'' माना जाएगा और इस प्रकार यह विवाह अवैध माना जाएगा।

बाल-विवाह : यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें दुल्हा और दुल्हन क्रमशः 21 और 18 वर्ष की आयु से कम के होते हैं।

4. दोनों पक्ष प्रतिबंधित संबंधों के स्तरों के भीतर नहीं है बशर्ते रीतिरिवाज और/ या चलन ऐसे विवाह को अनुमति प्रदान करे।
5. दोनों पक्ष एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए, बशर्ते रीतिरिवाज और/ या चलन ऐसे विवाह को अनुमति प्रदान करे।

विवाह-विच्छेद

समाज में उन्नति और प्रगति के साथ साथ यह देखा गया कि यदि पति और पत्नी का एक साथ रहना संभव नहीं है तो हिन्दुओं में भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह-विच्छेद एक विकल्प है। प्राचीन हिन्दू कानून के अंतर्गत विवाह-विच्छेद को मान्यता नहीं थी और यह केवल रीति-रिवाजों के अनुसार ही किया जाता था। हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह-विच्छेद को ना ही प्रोत्साहित किया जाता है और ना ही उसका पक्ष लिया जाता है, इसकी अनुमति केवल कुछ निश्चित आधारों पर ही दी जाती है जो निम्नानुसार हैं :

1. **परस्त्रीगमन** - विवाह के संपादन के पश्चात विवहित और उसकी पत्नीध्पति के इतर किसी अन्य के साथ यौन संबंध।
2. **क्रूरता** - ऐसा आचरण करना जिससे जीवन, किसी शारीरिक अंग या स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है, शारीरिक या मानसिक पीड़ा होते है जिसके कारण युक्तिसंगत स्तर पर ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है।
3. **परित्याग** - बिना किसी युक्तिसंगत कारण के बिना और दूसरे पक्ष की सहमति के बिना या दूसरे पक्ष की इच्छा के विपरीत एक पक्ष द्वारा दूसरे का स्थायी रूप से परित्याग। परित्याग विवाह के सभी दायित्वों से पूर्ण मुक्ति है।
4. **धर्म-परिवर्तन** - यदि पति/पत्ति में से कोई एक हिन्दू धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तन करता है तो विवाह-विच्छेद प्राप्त किया जा सकता है।
5. **पागलपन** - यदि पति/पत्नी में से कोई एक असाध्य पागलपन से पीड़ित है या इस प्रकार के मानसिक विकास से पीड़ित है और उस स्तर तक पीड़ित है जहां दूसरे व्यक्ति के लिए युक्तिसंगत स्तर पर उसके साथ रह पाना संभव नहीं है तो वहां विवाह-विच्छेद प्राप्त किया जा सकता है।
6. **कुष्ठरोग** - जहां पति/पत्नी में से कोई एक संक्रामक तथा असाध्य प्रकार के कुष्ठ रोग से पीड़ित है वहां विवाह-विच्छेद प्राप्त किया जा सकता है।
7. **मैथुनिक रोग** - जहां पति/पत्नी में से कोई एक संक्रामक रूप से मैथुनिक रोग से पीड़ित हो वहां विवाह-विच्छेद प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी

8. **अस्वीकारिता** - जहां पति/पत्नी में से कोई एक किसी धार्मिक संप्रदाय में प्रवेश द्वारा संसार को अस्वीकार कर दिया गया हो, तो विवाह-विच्छेद प्राप्त किया जा सकता है।

9. **मृत्यु की संभावना** - जहां एक व्यक्ति को सात वर्षों या अधिक की अवधि के लिए उसके संबंधियों और रिश्तेदारों द्वारा सुना न गया हो तो इसे कानूनी रूप से मृत माना जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य पक्ष (पति/पत्नी) विवाह विच्छेद के लिए आदेश प्राप्त कर सकता है।

10. **आपसी सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद** - हिन्दू विवाह अधिनियम में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की अनुमति है। इसके निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं : (क) पति व पत्नी दोनों के द्वारा न्यायालय में संयुक्त याचिका दायर की जाएगी, (ख) यचिका में कहा जाएगा कि दोनों एक वर्ष की अवधि से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और वे अब एक साथ नहीं रह सकते हैं तथा वे अलग रहने के लिए आपसी रूप से सहमत हैं।

11. **विवाह का असुधार्य विच्छेद** - यदि विवाह के दोनों में से कोई भी पक्ष निम्नलिखित आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर करता है : (क) न्यायिक पृथ्कीकरणके लिए न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के एक वर्ष या अधिक की अवधि तक एक साथ रहना संभव नहो पाया हो, (ख) प्रत्यर्पण (resumption) के लिए न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के के एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है।

3.2.2 मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह और विवाह विच्छेद

विवाह

हिन्दू विवाह जहां विवाह को पवित्र माना जाता है, के विपरीत मुस्लिम कानून में निकाह एक नागरिक संविदा है। मुस्लिम निकाह का उद्देश्य बच्चों को जन्म देना तथा उन्हें वैधता प्रदान करना है। एक वैध विवाह के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं :

1. प्रत्येक मुसलमान, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है और उसने परिवक्वता की आयु अर्थात 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, वह निकाह के संविदा में प्रवेशकर सकता है।
2. दोनों में से एक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से एक नकाह प्रस्ताव कियाजाता है और दूसरे पक्ष द्वारा या उनकी ओर से उसे स्वीकार किया जाता है।
3. निकाह का प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति दो साक्षियों के समक्ष और उनकी द्वारा सुनी जानी चाहिए जो मुस्लिम होने चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ तथा वयस्क होने चाहिए।
4. प्रस्ताव तथा स्वीकार में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सुस्पष्ट और असंदिग्ध होने चाहिए जिसमें नकाह की मंशा प्रस्तुत होती हो।

टिप्पणी

5. यहां किसी लिखित या धार्मिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है।
6. प्रस्ताव तथा स्वीकृति (इकरार) परस्पर होना चाहिए अर्थात स्वीकृति विशुद्ध रूप से प्रस्ताव के लिए ही होनी चाहिए किसी और के लिए नहीं।
7. यहां महर की शर्तें भी शामिल होती हैं।

विवाह-विच्छेद (तलाक)

एक सुखद पारिवारिक जीवन के लिए पति और पत्नी का सुदृढ बंधन एक अनिर्वाय आवश्यकता है। इसलिए इस्लाम में विवाह के अस्तित्व पर बल दिया जाता है। किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में विवाहका विघटन हो जाता है और वैवाधिक समझौता टूट जाता है। विवाह-विच्छेद पति या पत्नी के कृत्य द्वारा दिया जा सकता है। पति अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए विवाह का खंडन करके तलाक दे सकता है। एक पति तलाक देने के लिए निर्धारित शब्दों के उच्चारण मात्र से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। आरंभिक तौर पर एक पत्नी स्वयं अपने पति को तलाक नहीं दे सकती है। वह अपने पति को तभी तलाक दे सकती है जब समझोते के अंतर्गत पति ने उसे इसका अधिकार दिया हो। किन्तु मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के पारित होने के पश्चात मुस्लिम पत्नियों को भी यह अधिकार प्रापत हो गया है कि वे न्यायालय के आदेश के द्वारा अपने विवाह को खंडित कर सकती हैं।

पाठगत प्रश्न 3.2

1. एक वैध हिन्दू विवाह के अनिवार्य तत्व क्या हैं?
2. क्या एक मुस्लिम औरत को अपनी पति को तलाक देने का अधिकार है?
3. 'बाल विवाह' से आपका क्या तात्पर्य है ?

3.3 उत्तराधिकार पर हिन्दू और मुस्लिम कानून

3.3.1 उत्तराधिकार पर हिन्दू कानून

उत्तराधिकार एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण की विधि है। स्वतंत्रता के पश्चात, सभी हिन्दुओं के लिए उत्तराधिकार के समान धर्मनिर्पेक्ष कानून हैं। उत्तराधिकार पर पुराने हिन्दू कानून तथा परम्परागत कानून अब निरस्त हो गए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार कानून, 1956 के सहिंताकरण के साथ पुरूषों को महिलाओं से ऊपर का स्थान दिए जाने वाले प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। उत्तराधिकार के कानून को दो शीषर्कों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. **वसीयती उत्तराधिकार** - एक व्यक्ति जिसका संपत्ति पर स्वामित्व है या उसमें हित है, के वसीयतनामे के अनुसार हस्तांतरित सम्पत्ति (पृथक, विभाजित, अविभाजित)। यह संबंधियों और अन्यों को सम्पत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियमों पर कार्य करता है।

टिप्पणी

2. **निर्वसीयत उत्तराधिकार** - यह उन नियमों पर आधारित है जो मृतक और उत्तराधिकारी के बीच के संबंध के आधार पर मृतक की संपत्ति के हस्तातरण के माध्यम को निर्धारित करते हैं, जब व्यक्ति अपनी वसीयत किए बिना मर जाता है।

3.3.2 मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार

यहां मृत व्यक्ति की सम्पत्ति वसीयती उत्तराधिकार या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होती है। वसीयती उत्तराधिकार के मामले में मृतक की वसीयत या वसीयतनामे के आधार पर होता है।

निर्वसीयत उत्तराधिकार वंशानुक्रम कहलाता है जिसके अंतर्गत मृतक के वारिस को सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। वारिस के संबंध में इस्लाम का कानून (निर्वसीयत उत्तराधिकार), जैसा कि अन्य इस्लामी स्वीय कानूनों भी इस्लामी-पूर्व परम्पराओं और पैगम्बर द्वारा बनाए नियमों का संयोजन है।

वारिस पर इस्लामी कानून का बड़ा भाग कुरान से प्राप्त किया जाता है। अत्येष्ठी के व्ययों, न्यायालय से मृत लेख प्रमाण/प्रशासन पत्र प्राप्त करने पर हुए व्यक्त, मृतक की मृत्यु के तीन महीनों के भीतर मृतक की व्यक्तिगत सेवा के लिए पारिश्रमिकों, ऋण और बपौतियों को निकालने के पश्चात शेष सम्पत्ति (चल और अचल) को वारिस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

3.3.3 विरासत पर मुस्लिम और हिन्दू कानूनों का तुल्नात्मक विश्लेषण

1. मुस्लिम कानून में, सभी सम्पत्तियां एक हैं और पैतृक सम्पत्ति या स्व:अधिगृहित या पृथक सम्पत्ति में कोई अंतर नहीं है, जबकि हिन्दू कानून में पृथक और स्व:अधिगृहित सम्पत्ति होती है।
2. मुस्लिम परिवार में संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है जबकि, हिन्दूओं में संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति की अवधारणा विद्यमान है।
3. वारिस का अधिकार, पहली बार, पिता की मृत्य पर प्राप्त होता है। मुस्लिम कानून में जन्म द्वारा अधिकार की अवधारणा नहीं है जबकि हिन्दू कानूनन में जन्म द्वारा सम्पत्ति के अधिकार की अवधारण विद्यमान है।
4. मुस्लिम कानून प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं मानता है। मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के समय वारिस को हस्तांतरित हो जाती है। सम्पत्ति का हस्तांतरण प्रत्येक वारिस को तत्काल उस अनुपात में हो जाता है जैसा कि मुस्लिम कानून में प्रावधान किया गया है। चूंकि प्रत्येक वारि का हित पृथक और भिन्न होता है, एक वारिस को अन्यों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए यदि, एक व्यक्ति का बेटा उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए ही मर जाता है तो उस मृत व्यक्ति का बेटा अर्थात जीवित व्यक्ति को पोता अपने पिता की हिस्सेदारी

के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जबकि हिन्दु कानून में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है।

5. मुस्लिम कानून अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर किसी संभावित हित "संभाव्य उत्तराधिकार" (spessuccessionis) को मान्यता प्रदान नहीं करता है हिन्दु कानून में हित "संभाव्य उत्तराधिकार" (spessuccessionis) को मान्यता प्रदान की गई है।

पाठगत प्रश्न 3.3

1. हिन्दू कानून में उत्तराधिकार के प्रकारों का उल्लेख करें।
2. उत्तराधिकार तथा वसीयत में क्या अंतर है?
3. प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिद्धांत मुस्लिम कानून में लागू होता है?

आपने क्या सीखा

- इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आपने हिन्दू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून और इनके अर्थों का आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया है।
- वर्तमान पाठ में आपने हिन्दू और मुस्लिम कानून के विभिन्न स्रोतों और आधुनिक समय तक इनके विकास क्रम का भी ज्ञान प्राप्त किया। इस पाठ ने आपको जीवन के दिन-प्रति-दिन की गतिविधियों में स्वीय कानून के महत्व को भी समझाया है।
- विभिन्न धर्मों को माननेवाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विवाह और तलाक जीवन के दो महत्वपूर्ण विषय हैं। निसंदेह विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिशु के जन्म को विधिमान्य बनाता है जबकि विवाह विच्छेद विवाह के खंडन के तंत्र और दाम्पत्य अधिकारों के संबंध में बताता है, जब वैवाहिक जीवन सुगम नहीं होता है। इस पाठ से आप क्रमशः हिन्दू और मुस्लिम कानूनों में इन अवधारणाओं को विकसित कर पाएंगे।
- उत्तराधिकार सिद्धांतों का वह समूह है जिसके द्वारा मृतक की सम्पत्ति वसीयत या उत्तराधिकार के माध्यम से या स्वीय नियमों, मृत्यु के समय वह जिससे शासित है, के माध्यम से वारिस को प्राप्त होती है।

पाठांत प्रश्न

1. हमारे दिन-प्रति-दिन के जीवन में व्यक्तिगत कानून के महत्व का उल्लेख करें।
2. हिन्दू नियम के विभिन्न स्रोतों पर एक बृहत नोट तैयार करें।
3. मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं?

4. सेपिंडा संबंध से आप क्या समझते हैं? संबंध के प्रतिबंधित स्तर का भी उल्लेख करें।
5. मुस्लिम कानून के अंतर्गत वैध विवाह के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें।
6. हिन्दू कानून के अंतर्गत विवाह-विच्छेद के क्या आधार हैं?
7. उत्तराधिकार के हिन्दू काननू पर एक लघु नोट तैयार करें।
8. हिन्दू और मुस्लिम कानून के अंतर्गत विरासत के सिद्धांतों के बीच अंतर स्पष्ट करें।
9. हिन्दू और मुस्लिम कानून के बीच विरासत के नियमों में क्या अंतर हैं?
10. सही विकल्प द्वारा निम्नलिखित का मिलान करें;

क	ख
(क) सपिंडा	(i) हिन्दू कानून
(ख) प्रतिनिधित्व का सिद्धांत	(ii) कानून के निर्माताओं की सहमति
(ग) वसीयती उत्तराधिकार	(iii) विवाह-विच्छेद का आधार
(घ) इजमा	(iv) समान शरीर के कण

परियोजना कार्य

अपने आस-पड़ोस के दस परिवारों का सर्वेक्षण करें और उनके दैनिक जीवन में स्वीय कानून की अनुप्रयोज्यता के विषय में सूचना एकत्र करें।

क्र.सं	स्वीय कानून के विभिन्न पहलू	टिप्पणियां
1.	विवाह	
2.	विवाह-विच्छेद	
3.	उत्तराधिकार	
4.	वंशानुक्रम	
5.	रीति-रिवाज	

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1

1. हिन्दु धर्म के अनुसार -

(क) कोई व्यक्ति जो धर्म से हिन्दु, जैन, सिख या बौध है अर्थात धर्म से हिन्दु है

(ख) कोई व्यक्ति जो हिन्दु माता-पिता से पैदा हुआ हो, (चाहे दोनों माता व पिता या इन दोनों में से कोई एक धर्म से हिन्दु, जैन, सिख या बौध हो) अर्थात, जन्म से हिन्दु है,

(ग) कोई व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है और वह किसी अन्य कानून द्वारा शासित नहीं होता है

2. मुस्लिम वह व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म का अनुयायी है। न्यायिक मतानुसार, एक व्यक्ति जन्म से या धर्मपरिवर्तन द्वारा मुस्लिम हो सकता है।

(क) एक मुसलमान व्यक्ति जन्म से मुस्लिम तब होता है जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता मुसलमान हों।

(ख) एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम तब बनता है जब वह किसी दूसरे धर्म का हो और वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर तथा पूर्ण चेतना के साथ, अपने धार्म को अस्वीकार करता है और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाता है।

3. मुस्लिक कानून के स्रोत निम्नानुसार हैं : कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, रीति रिवाज, विधान, न्यायिक निर्णय, तथा न्याय, निष्पक्ष तथा शुद्ध अन्त:करण

3.2

1. वैध हिन्दु-विवाह के अनिवार्य तत्व निम्नानुसार हैं :

   1. विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित पतिध्पत्नी नहीं होनी चाहिए।
   2. विवाह के समय कोई भी पक्ष - (क) दिमागी रूप से अस्वस्थ होने के कारण वैध सहमति देने में अक्षम नहीं होगा, या (ख) हालांकि वैध सहमति देने में सक्षम होगा किन्तु ऐसे मानसिक विकास से पीड़ित नहीं होगा जो विवाह तथा शिशु को जन्म देने के लिए उपयुक्त न हो, (ग) उसे बारम्बार पागलपन या मिर्गी के दौरे न हाते हों
   3. दुल्हा के 21 वर्ष पूरे होने चाहिए और दुल्हन के 18 वर्ष पूरे होने चाहिए ।
   4. दोनों पक्ष प्रतिबंधित संबंधों के स्तरों के भीतर नहीं है बशर्ते रीति-रिवाज और/ या चलन ऐसे विवाह को अनुमति प्रदान करे।
   5. दोनों पक्ष एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए, बशर्ते रीति-रिवाज और/ या चलन ऐसे विवाह को अनुमति प्रदान करे।

2. आरंभिक तौर पर एक पत्नी स्वयं अपने पति को तलाक नहीं दे सकती है। वह अपने पति को तभी तलाक दे सकती है जब समझौते के अंतर्गत पति ने उसे इसका अधिकार दिया हो। किन्तु मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के पारित

होने के पश्चात मुस्लिम पत्नियों को भी यह अधिकार प्रापत हो गया है कि वे न्यायालय के आदेश के द्वारा अपने विवाह को खंडित कर सकती हैं।

3. बाल-विवाह : यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें दुल्हा और दुल्हन क्रमशः 21 और 18 वर्ष की आयु से कम के होते हैं।

3.3

1. उत्तराधिकार के कानून को दो शीषर्कों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है :

   a. वसीयती उत्तराधिकार – एक व्यक्ति जिसका संपत्ति पर स्वामित्व है या उसमें हित है, के वसीयतनामे के अनुसार हस्तांतरित सम्पत्ति (पृथक, विभाजित, अविभाजित)। यह संबंधियों और अन्यों को सम्पत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियमों पर कार्य करता है।

   b. निर्वसीयत उत्तराधिकार – यह उन नियमों पर आधारित है जो मृतक और उत्तराधिकारी के बीच के संबंध के आधार पर मृतक की संपत्ति के हस्तातरण के माध्यम को निर्धारित करते हैं, जब व्यक्ति अपनी वसीयत किए बिना मर जाता है।

2. वसीयती उत्तराधिकार के मामले में मृतक की वसीयत या वसीयतनामे के आधार पर होता है जबकि निर्वसीयत उत्तराधिकार को वंशानुक्रम कहा जाता है जिसके अंतर्गत मृत व्यक्ति की सम्पत्ति वसीयती उत्तराधिकार या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होती है।

3. मुस्लिम कानून प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं मानता है। मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के समय वारिस को हस्तांतरित हो जाती है। सम्पत्ति का हस्तांतरण प्रत्येक वारिस को तत्काल उस अनुपात में हो जाता है जैसा कि मुस्लिम कानून में प्रावधान किया गया है। चूंकि प्रत्येक वारि का हित पृथक और भिन्न होता है, एक वारिस को अन्यों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए यदि, एक व्यक्ति का बेटा उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए ही मर जाता है तो उस मृत व्यक्ति का बेटा अर्थात जीवित व्यक्ति को पोता अपने पिता की हिस्सेदारी के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जबकि हिन्दु कानून में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है।